प्रेरित करने हेतु, सरकार ने अफीम का निर्यात मूल्य घटा दिया है और प्रोत्साहन रिवेट देने की पेशकश की है।

(ङ) जी हां, पोस्त की काश्त के रकबे को, जो 1977–78 की फसल में 63,685 हेक्टेयर था, धीरे-धीरे कम करके 1980–81 की फसल में 35,378 हेक्टेयर का दिया गया है। 90° गाढ़ता की उत्पादित की जाने वाली अफीम की मात्रा भी, जो 1977–78 में 1646 मीट्रिक टन थी, 1980–81 में कम होकर 1126 मीट्रिक टन हो गई है।

राज्यों के ओवरड्राफ्ट

1989. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस राज्य सरकार ने आज तक अधिकतम ओवरड्राफ्ट किया है ?

(ख) इस अधिक ओवरड्राफ्ट के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ओवरड्राफ्ट के संबंध में कोई निश्चित नीति हैं । यदि हां तो क्या राज्यों को ओवरड्राफ्ट देते समय उक्त नीति का पालन किया गया था । और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पश्चिम बंगाल ने 1 अक्तूबर, 1978 से ओवरड्राफ्टों के विनियमन के लिए शुरु की गई संशोधित स्कीम के बाद सबसे अधिक ओवरड्राफ्ट किए हैं।

(ख) राज्य में ओवरड्राफ्टों का स्तर ऊंचा होने के कारणों का पता लगाने के लिए अधिकारियों के स्तर पर विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रियों के स्तर पर इस विषय पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी।

(ग) राज्यों के ओवरड्राफ्टों के विनियमन की स्कीम पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय और योजना के साथ परामर्श करके 1 मई, 1972 से शुरु की गई थी । बाद में, इस स्कीम में 1 अक्तूबर 1978 से संशोधन कर दिया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट को बजटीय संसाधन के रूप में नहीं समझा जाता है और यदि कोई राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 7 निरन्तर कार्यकाल दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी अदायगियों को रोका जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्यों के ओवरड्राफ्टों उनकी दैनिक नकद स्थिति दर्शाते हैं और दिन प्रतिदिन इनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ओवरड्राफ्ट या तो राज्यों के बजटों में संरचनात्मक असंतुलन के कारण होते हैं अथवा राज्यों नकद प्रवाह में अस्थायी असमानताओं के कारण होते हैं । सरकार उन राज्यों के साथ जो ओवरड्राफ्टों में हैं बातचीत करती रही है ताकि उनके बजटों में जहां पर संरचनात्मक असंतुलन हो वहां उनकी स्थिति को ठीक किया जा सके और जहां पर अंतर्गस्त राशियां अधिक हों तो उन ओवरड्राफ्टों के चारणबन्ध निपटान के लिए कोई व्यवस्था की जा सके

Representation from Messrs. Ajit Laboratories of Sangli, Maharashtra, regarding Excise Duty

1990. SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he has received a representation, dated 23rd April, 1981, from the Managing Director, Ajit Laboratories, Industrial Estate, Miraj, District Sangli (Maha-

rashtra), regarding the Medicinal and Toilet Preparation (Excise Duties) Act, 1955;

(b) if so, what are the details of the grievances made and suggestions given in the said representation;

(c) whether it is also a fact that in this connection Government's attention has also been drawn to the Judgement of the Supreme Court (AIR 1971 S.C. 378);

(d) what action has so far been taken by Government in the matter; and

(e) if no action has so far been taken, what are the reasons for the delay thereof and by when the action is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) Yes, Sir.

(b) The main point made by the firm is that they have been using only 'tinctures' or 'extracts' in the manufacure of medicinal preparations. Whereas under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955, excise duty is leviable on medicinal preparations containing alochol, opium, Indian hemp, narcotic drugs or narcotics and not such 'tinctures' or 'extracts'.

(c) Yes, Sir. The party has cited Supreme Court Judgement (AIR 1971 S. C. 378) wherein the Court had held that duty is leviable where "alcohol may be a part of the preparation either because it is directly added to the solution or it came to be included in it because one of the components of that preparation contained alcohol".

(d) and (e) Duties under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955, are levied and collected by the State Governments. The representation has been sent to the Government of Maharashtra in whose jursdiction the aforesaid firm is situated.

कोयला, सीमेंट, तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण बजट में घाटा

1991. **श्री कलराज मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला, इस्पात, सीमेंट और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं मूल्यों में वृद्धि के कारण चालू वित्तीय वर्ष में अत्यधिक घाटे की संभावना है । यदि हां, तो घाटे से बचने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ; और

(ख) इस संबध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) कोयला, इस्पात, सीमेंट और कच्चे तेल (क्रूड) के मूल्यों में वृद्धि होने से केन्द्रीय सरकार का 1981-82 के बजट का घाटा बढ़ने की संभावना नहीं है। बजट के घाटे को सीमित रखने के लिए हर कोशिश की जा रही है।

---

12 Noon

REFERENCE TO THE ARREST OF AND FAST BY SHRI SURENDRA MOHAN, M.P.

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE (Karnataka): Sir, you had permitted me to raise the issue of the arrest of Shri Surendra Mohan by the Government of Uttar Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Now, the Deputy Chairman will handle it.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair.]